

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु. नं. 75सन 2019 2019

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

तारीख हुकम

22.02.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का भोलासर ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक गजनेर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भोलासर चौहानान तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 35 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भोलासर चौहानान	35	खसरा नं. 232/82 ता. 6. 33 हे. बंजड 6.33 हे. तथा खसरा नं. 234/85 ता. 6. 07 हे. बंजड 2.28 हे. मविपा 3.79 हे. बाकी खाता बदस्तूर जमाबंदी	खसरा नं. 369/82 ता. 3.30 हे. बंजड 3.30 हे. एवं खसरा नं. 370/82 ता. 3.03 हे. बंजड 3.03 हे. तथा खसरा नं. 371/85 ता. 4.49 हे. बंजड 2.28 हे. मविपा 2.21 हे. एवं खसरा नं. 372/85 ता. 1.58 हे. मविपा 1.58 हे. बाकी खाता बदस्तूर जमाबंदी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर इससे इजलास में सुनाया गया।

22/2/2019
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत